भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3255

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक राजसहायता का युक्तिसंगतीकरण

3255. श्री आशीष दुबे:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई कुल उर्वरक राजसहायता वर्ष-वार और उर्वरक-वार कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरक राजसहायता को युक्तियुक्त बनाने और इसके वितरण को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उर्वरकों और उनके कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि का उर्वरक राजसहायता व्यय पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(घ) सरकार द्वारा उर्वरक राजसहायता के वितरण में दक्षता लाने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान आवश्यक और आवंटित कुल उर्वरक राजसहायता कितनी है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड): उर्वरकों की डीबीटी प्रणाली के तहत, लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेड पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के बाद सब्सिडी वितरित की जाती है। तदनुसार, सभी किसानों को बिना किसी मनाही के आधार पर रियायती दरों पर उर्वरक की आपूर्ति की जाती है। चूंकि धनराशि का आवंटन या संवितरण जिला-वार अथवा राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है, इसलिए इस तरह का डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। पिछले पांच वर्षों अर्थात 2021-22 से 2025-26 के दौरान सरकार द्वारा संवितरित उर्वरक सब्सिडी की कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सब्सिडी स्कीम					कुल
	स्वदेशी पीएंडके	स्वदेशी यूरिया	सिटी कंपोस्ट	आयातित पीएंडके	आयातित यूरिया	
2021-22	31931.46	54619.72	43.71	20794.79	50250.40	**157640.08**
2022-23	50089.67	127311.10	0.00	36032.56	41365.60	**254798.93**
2023-24	36270.00	102027.00	0.00	28929.57	28193.94	**195420.51**
2024-25	34010.00	103319.50	0.00	18800.00	21000.00	**177129.50**
2025-26	41000.00	94219.50	0.00	33999.99	47956.24	**217175.73**
* सिटी कम्पोस्ट की स्कीम 1 अक्टूबर, 2021 से बंद कर दी गई है						

उर्वरक विभाग, भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से राज्यों की सहमति से एक नई डिजिटल प्रणाली 'उर्वरक बिक्री के लिए फ्रेमवर्क' विकसित और लॉन्च की है, जो असमान रूप से प्रायोगिक रीति (पायलट मोड) में है, जिसका उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित, किसान केंद्रित, भूमि और फसल डेटा एकीकृत और मांग आधारित बनाना है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, किसान या उनके अधिकृत प्रतिनिधि एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकरण करेंगे और उर्वरक आवश्यकताओं की अग्रिम बुकिंग (पूर्व-बुकिंग) के लिए भूमि और फसल से संबंधित विवरण दर्ज करेंगे। उर्वरकों की सफल बुकिंग पर, एक क्यूआर कोड-आधारित टोकन सृजित होगा। यह क्यूआर कोड पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक खुदरा विक्रेता द्वारा स्कैन किया जाएगा, और मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उर्वरक का वितरण किया जाएगा। इस पहल का प्रयोग (पायलट) 22 राज्यों के 56 जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।

इसके अलावा, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) देश भर में उर्वरक संचलन की रियल टाइम निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली के तहत, उर्वरक प्रेषण, आवंटन, रेक प्लेसमेंट, स्टॉक स्थिति और राज्य-वार आपूर्ति स्थिति की रियल टाइम निगरानी संबंधित राज्यों और हितधारकों द्वारा की जाती है।

हाल के भू-राजनीतिक तनावों ने उर्वरकों और कच्चे माल के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च माल भाड़ा और बीमा लागत, शिपमेंट में देरी और मूल्य अस्थिरता हुई। तथापि, देश में उर्वरक उपलब्धता विविध स्रोतों और सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक पर्याप्त बनी रही। सरकार ने विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की खोज करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए उपाय किए हैं। इसके अलावा, उर्वरक उद्योग ने पारदर्शी मूल्य खोज सुनिश्चित करने, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने और उर्वरकों और कच्चे माल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उद्योग संघ के माध्यम से उर्वरकों और कच्चे माल की सामूहिक रूप से खरीद भी की है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसके आधार पर, आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त बजटीय आवंटन की मांग करने की प्रक्रिया की जाती है।

उर्वरक विभाग की विभिन्न सब्सिडी स्कीमों के तहत व्यक्तिगत उर्वरक कंपनियों को देय सब्सिडी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संवितरित की जाती है। सभी उर्वरक बिक्री लेनदेन को रियल टाइम आधार पर एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) प्रणाली में ऑनलाइन संग्रहीत किया जाता है। दावों को साप्ताहिक आधार पर संसाधित किया जाता है और सब्सिडी की राशि पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के बैंक खाते में भेजी जाती है। बिलों का भुगतान विभाग में विधिवत पूर्ण किए गए बिलों की प्राप्ति के आधार पर ऐसी प्राप्तियों के क्रम में "फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट (एफआईएफओ)" सिद्धांत पर किया जाता है।
